न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या 01/2021

प्रार्थी –

राजस्थान राज्य जरिये अधीक्षक
केन्द्रीय कारागृह जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. ओमप्रकाश उर्फ झामन पुत्र रूपाराम निवासी रेलवे कुआ नंबर 3 हाल गायत्री नगर मघाराम का मकान सी. एच.बी. जोधपुर पुनः हाल कुआ नंबर 3, लीलरिया धोरा, सुथारों का बास बाड़मेर पुलिस थाना कोतवाली शहर, बाड़मेर हाल केन्द्रीय कारागृह जोधपुर
2. श्री वगताराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
3. श्री रामचंद्र पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

विविध फौजदारी प्रकरण अन्तर्गत धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

उपस्थिति :–
1. श्री दौलतराम, अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 02.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पैरोल सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18.03.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में आदेश संख्या 4097 दिनांक 25.03.2021 द्वारा दण्डित बंदी श्री ओमप्रकाश उर्फ झामन पुत्र श्री रूपाराम निवासी रेलवे कुआ नं. 3 लीलरिया धोरा, सुथारों का बास बाड़मेर को 25,000/– 25,000/– की दो जमानत व रूपये 50,000/– के निजी मुचलका प्रस्तुत करने की शर्त पर 20 दिन का प्रथम पैरोल अवकाश स्वीकृत किया गया था। इस आदेश की पालना में बंदी स्वयं ने 50,000/– का

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:55 IST
Reason: SelfAttested

मुचलका एवं श्री वगताराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया व श्री रामचंद्र पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया की जमानत प्रस्तुत करने पर उसे केन्द्रीय कारागृह से दिनांक 27.03.2021 को पैरोल पर रिहा किया गया। बन्दी ने स्वंय को जरिये बन्ध पर एवं जमानत पाबन्द किया था कि वह नियत पैरोल अवधि समाप्त होने पर दिनांक 15.04.2021 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में उपस्थित हो जावेगा और इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर जमानत जब्त की जा सकेगी। इस जमानत व मुचलके के आधार पर ओमप्रकाश उर्फ झामन को दिनांक 27.03.2021 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से रिहा किया गया था और दिनांक 15.04.2021 को पैरोल समाप्ति पर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में उपस्थिति देनी थी मगर बंदी ओमप्रकाश उर्फ झामन ने दिनांक 15.04.2021 को पैरोल की समाप्ति पर कारागृह में उपस्थिति नहीं देकर जमानत व मुचलका की शर्तें भंग की है। इस पर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 446 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर आदेश दिनांक 21.05.2021 द्वारा बंदी स्वयं द्वारा प्रस्तुत मुचलका राशि 50,000/– एवं श्री वगताराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया व श्री रामचंद्र पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया द्वारा प्रस्तुत जमानत राशि रूपये 25,000–25,000/– जब्त सरकार किये जाकर अप्रार्थीगण बंदी ओमप्रकाश उर्फ झामन एवं उनके जामिन श्री वगताराम व श्री रामचंद्र के विरूद्ध धारा 446 सी.आर.पी.सी. के तहत नोटिस जारी किये गये कि उक्त जब्त की गई राशि इस न्यायालय में जमा करावें अथवा कारण प्रकट करें कि उनसे शास्ति की राशि क्यों न वसूल की जाए। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमने उक्त बंदी की जमानत उसके पिता रूपाराम के कहने से दी थी तथा रूपाराम ने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया था कि बंदी जमानत की शर्तों में किसी प्रकार की कोताही नहीं करेगा। आदेशिका में भी रूपाराम ने हस्ताक्षर किये थे। अतः हमारे द्वारा मानवीय आधार पर दी गई जमानत में बंदी द्वारा कोई चूक की गई है तो उसकी भरपाई बंदी के पिता से की जावे। अप्रार्थी संख्या 1 फरार रहा है तथा उसके पते पर प्रेषित नोटिस उसके पिता द्वारा तामील करते हुए बंदी के विरूद्ध ही विधिक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

3. हमने अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रकट किया कि बंदी पैरोल पर रिहा होने के पश्चात नियत समय में कारागृह में

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:55 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित नहीं हुआ है। इस प्रकार बंदी द्वारा निष्पादित बंधपत्र एवं उसके जामिनों द्वारा निष्पादित जमानतनामा की शर्तों का भंग किया गया है। इस आधार पर जब्तशुदा जमानत एवं बंधपत्र की राशि अप्रार्थीगण से सम्पूर्ण वसूली की जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकट कथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत रेकर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी ओमप्रकाश उर्फ झामन को 20 दिन के पैरोल पर दिनांक 27.03.2021 को केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से रिहा किया गया था तथा निर्धारित पैरोल समयावधि समाप्ति पश्चात दिनांक 15.04.2021 को केन्द्रीय कारागृह में अपनी उपस्थिति देनी थी। अप्रार्थी ओमप्रकाश उर्फ झामन ने अपना मुचलका दिनांक 25.03.2021 एवं उसके जामिन वगताराम एवं रामचन्द्र ने जमानत पेश कर अपने आप को पाबंद किया था कि अप्रार्थी ओमप्रकाश उर्फ झामन पैरोल अवधि समाप्ति पर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में अपनी उपस्थिति दे देगा, अन्यथा मुचलका राशि रूपये 50,000/– एवं जमानत राशि रूपये 25,000–25,000/– राज्य सरकार वसूल कर सकेगी। अप्रार्थी ओमप्रकाश उर्फ झामन पैरोल अवधि समाप्ति पर दिनांक 15.04.2021 को केन्द्रीय कारागृह में उपस्थित नहीं हुआ, फलस्वरूप मुचलके व जमानत समपहृत हो गई है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब मानने योग्य नहीं है कि उनके द्वारा अप्रार्थी बंदी के पिता के कहने पर जमानत दी थी, बल्कि जमानतनामा में स्पष्ट तौर पर जामिन मजकूर करते हुए बंदी की ओर से पैरोल शर्तों का पालन किये जाने को आबद्ध कराया था। लिहाजा अप्रार्थी ओमप्रकाश उर्फ झामन द्वारा प्रस्तुत मुचलका राशि रूपये 50,000/– एवं जामिन श्री वगताराम पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर व श्री रामचंद्र पुत्र बालूराम जाति मेघवाल निवासी ओढाणिया तहसील पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा जमानत की राशि 25,000–25,000/– शास्ति के रूप में वसूल किये जाने का आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

5. आदेश आज दिनांक 02.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:11:55 IST
Reason: SelfAttested